:: श्री ::

आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक– /2013

फकीरचन्द अत्मज श्री चम्पालाल जी, जाति–तेली, उम्र–46 वर्ष, धंधा–खेती, निवासी–हतनारा, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.) .....प्रार्थी

विरूद्ध

मदनलाल पिता नाथुराम, जाति–पाटीदार, निवासी–हतनारा, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.) .....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. लेंड रेवेन्यु कोर्ट अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, उप–खण्ड जावरा ने प्रकरण क्रमांक–03/अपील/2008–09 में दिनांक 30/05/2012 को आदेश पारित किया, उससे असंतुष्ट एवं दुखी होकर

आदरणीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निगरानी श्रीमान् के सेवा में सादर प्रस्तुत है :–

––00 प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य 00––

01. यह कि, प्रार्थी को ग्राम पंचायत हतनारा से शिक्षित बेरोजगार होने के नाते से विधिवित् ठहराव प्रस्ताव दिनांक 09/10/1997 को करके 20 X 30 फीट क्षेत्रफल का एक पट्टा दिनांक 15/01/1998 को देकर उसका आधिपत्य प्रार्थी को ग्राम पंचायत के द्वारा दे दिया गया था, तभी से प्रार्थी इस प्लाट का एकमात्र मालिक व स्वामी होकर आधिपत्यिधारी है।

02. यह कि, प्रार्थी/आवेदक के प्लाट के पास ही ग्राम पंचायत हतनारा के द्वारा बिना ठहराव प्रस्ताव के 25 X 20 फीट क्षेत्रफल की भूमि ग्राम पंचायत के

XXXIX(a)BR(H)-11

(56)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1357/–एक/14

जिला – रतलाम

[illegible] विरुद्ध [illegible]

19–6–14	आवेदक अधिवक्ता श्री [illegible] अग्रवाल को प्रकरण की ग्राह्यता एवं समयावधि के बिंदु पर सुना गया। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30--5--12 के विरुद्ध दिनांक 21--3--13 को प्रस्तुत की गई है। विलंब के संबंध में जो आधार अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में जो आधार दिए गए है वे प्रथमदृष्टया समाधान--कारक प्रतीत नहीं होते हैं। विलंब के प्रकरणों में दिन प्रतिदिन का समाधानकारक स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) प्रशा0 सदस्य	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर